तार–जलनिगम

दूरभाषः 2620172ए 2620272
फैक्स रु 91 0522 2620173

उत्तर प्रदेश जल निगम

6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

पत्रांकः 155 / पी–1 / वार्ङ्किक योजना/ 5 दिनांकः 12 अप्रैल 2008

समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता,

उत्तर प्रदेश जल निगम।

विषयः– वर्ष 2008–09 में कराये जाने वाले कार्यो हेतु कार्य योजना।

महोदय,

विगत वर्ङ्को में जिला योजना के अर्न्तगत जनपदवार परिव्यय का निर्द्दारण नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेय यासन द्वारा किया जाता रहा है। अभी तक शासन स्तर से इस सम्बन्द में फॉट प्राप्त नही हुई है। वर्ङ्क 2007–08 में प्रमुख सचिव, नियोजन के पत्र संख्या 10/7/35–आ–2/97–113 दिनॉक 09 जुलाई, 2007 के अनुपालन में जिला योजना के अर्न्तगत जिलावार फॉट राज्य स्तर पर तैयार की गई ीं। वर्ङ्क 2008–09 में जिला योजना समिति का गठन किया जा रहा है, अतः आशा है इस सम्बन्द में `त्र में कार्यवाही की जा रही होगी। शासन स्तर से अभी तक जनपदवार/सेक्टरवार परिव्यय आवॅटन की सूचना नही है। चूॅकि वर्ङ्क 2007–08 समाप्ति हो चुका है एवं वर्ङ्क 2008–09 के प्रारम्भ में ही जिला योजना व अन्य हेतु स्वीकृतियॉ शासन स्तर से निर्गत की जानी होंगी, अतः इस निमित्त जनपदवार/योजनावार फॉट की आवश्यकता होगी।

अतः पेयजल सम्पूर्ति एवं जलोत्सारण हेतु जनपदवार कार्य योजना तैयार किये जाने हेतु विभिन्न कार्यो हेतु जनपद की आवश्यकता आकलित की जानी है, ताकि शासन द्वारा अपे ा किये जाने पर तथ्यपरक सूचना उन्हे उपलब्द करायी जा सके। अतः इस सम्बन्द में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं–

1.0 ग्रामीण जल सम्पूर्ति

1.1 विगत वर्ङ्क की भॉति इस वर्ङ्क भी माननीय विद्दायक द्वारा चयनित र्सले पर हैण्डपम्प अद्दिष्ठापन का निर्णय सम्भावित है। वर्ङ्क 2007–08 में स्वीकृति हैण्डपम्पों के सापे अक्येङ्क (जिस हेतु वर्ङ्क 2007–08 में वित्तीय संसाद्दन उपलब्द नही हो सके) को सम्मिलित करते हुये संलग्न प्रारुप ;चभ्द्ध पर आकलन कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये। जनपद में चिन्हित र्सीई रुप से राब हैण्डपम्पो के रिबोर हेतु (अम्बेडकर ग्रामो को प्राीमकता देते हुये) का आकलन कर वॉछित सूचना इसी प्रपत्र पर दी जाये।

1.2 ग्रामीण `त्र में पूर्व से निर्माणद्दीन पाइप पेयजल योजनाओ को पूर्ण किये जाने वॉछित राचि का प्रस्ताव प्रारुप ˜चैब पर तैयार किया जाये। पाइप योजना का वित्त पोङ्कण एक से अद्दिक कार्यक्रम/ वित्तीय स्रोत से होने की र्सिति में प्रारुप के स्तम्भ 4 से 8 तक में विवरण प्रत्येक कार्यक्रम हेतु अलग अलग देते हुये अन्त में योग दिया जाये।

वर्ङ्क 2007–08 में ;ित्द्ध एवं ˜ै वित फच हेतु पाइप पेयजल विरचित न किये जाने के कारण उपलब्द समस्त द्दनराशि का उपयोग सुनिश्चत नही किया जा सका। वर्ङ्क 2008–09 में पाइप पेयजल योजनाओ हेतु वर्ङ्क 2007–08 से भी अद्दिक द्दनराशि उपलब्द होने की आश है। अतः नई योजनाओ हेतु योजनाओ का चिन्हीकरण अभी से कर प्रस्ताव दिये जायें तर्ा विरचन कार्य प्राीमकता पर माह जून, 2008 के पूर्व सम्पादित कर लिया जाये। पाइप पेयजल योजना भारत सरकार तर्ा मख्यालय द्वारा निर्गत निर्देयों के अनुरुप ही तैयार की जाये।

1.3 वर्ष 2007–08 की भॉति इस वर्ष भी जिला योजना के अन्तर्गत विभिन्न जनपदो में अनुरक्षित पाइप पेयजल योजनाओ में पेयजल आपूर्ति की स्थिति में सुधार हेतु धनराशि प्रस्तावित की जानी है। वर्ष 2007–08 में आवॅटन के सापेक्ष कृत कार्यवाही से अवगत नही कराया गया। वर्ष 2007–08 में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष किये गये कार्यो का योजनावार विवरण अलग से प्रपत्र पर उपलब्ध कराया जाये एवं जनपद में स्थानीय आवश्यकता के अनुरुप (मॉग होने पर) तथा अनाच्छादित जनसंख्या को वरीयता देते हुये, योजना के पुर्नगठन/सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव सम्मिलित किया जाये। ;च्त्मींइद्ध

केन्द्र पोषित योजना में पाइप योजनाओ के पुर्नगठन/सुदृढ़ीकरण के कार्य सामान्यतः सम्मिलित नही किये जाते हैं अतः ग्रामीण क्षेत्र में नई योजनायें के कार्य केन्द्र पोषित योजना में तथा पुर्नगठन/सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव जिला योजना में सम्मिलित किये जायें। जिला योजना में नई पाइप योजनायें उन्ही जिलो में प्रस्तावित की जाये जहॉ कि पाइप योजनाओ के पुर्नगठन/सुदृढ़ीकरण हेतु धनराशि की आवश्यकता नही है।

1.4 स्वीकृत बजट का 15ः धनराशि पाइप पेयजल योजनाओ के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु उपलब्ध होने की आशा है। अतः इस सम्बन्ध में धनराशि की आवश्यकता का आकलन कर लिया जाये। संचालन एवं अनुरक्षण में उन योजनाओ को भी सम्मिलित किया जाये, जो यद्यपि पूर्ण नही हुई हैं, परन्तु उनमें बस्तियों को आच्छादित कर जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गई है। वॉछित विवरण संलग्न प्रारुप ;च्.डद्ध पर उपलब्ध कराया जाये। जल संस्थान एवं अन्य संस्थाओं द्वारा अनुरक्षित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं–परिसम्पत्तियों का विवरण भी उपलब्ध कराया जाये। प्रत्येक जनपद में संस्थावार तथा जनपद का योग अवश्य दिया जाये।

1.5 विगत कई वर्षों से भूजल संरक्षण एवं स्रोत स्थायित्व हेतु आरक्षित धनराशि का उपयोग योजना न होने के कारण नही किया जा पा रहा है। इस सम्बन्ध में क्षेत्र द्वारा रुचि भी नही ली जा रही है। अतः मुख्यालय स्तर पर निदेशक (मानव संसाधन) द्वारा क्षेत्र से विचार कर अलग से योजना को 25–04–2008 तक अन्तिम रुप दिया जाये। राज्य स्तर पर अन्य संस्था से कार्य कराये जाने पर भी विचार किया जाये। वर्ष 2008–09 में इस मद में कुल उपलब्धता लगभग रु० 60.0 करोड़ होगी।

2. नागर जल सम्पूर्ति

2.1 विगत वर्ष की भॉति इस वर्ष भी माननीय विधायक द्वारा चयनित स्थल पर हैण्डपम्प अधिष्ठापन का निर्णय सम्भावित है। प्रदेश में 26 विधान सभा क्षेत्र पूर्णतया नगरीय है। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रो में माननीय जनप्रतिनिधियो द्वारा स्थल चयनित किया जाता है। अतः इस सम्बन्ध में संलग्न प्रारुप ;न्भ्द्ध पर आकलन कर प्रस्ताव तैयार किया जाये। स्थानीय निकायो के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर विभिन्न नगरो में रिबोर हेतु आवश्यक हैण्डपम्प की संख्या का विवरण भी इसी प्रारुप पर दिया जाये।

2.2 जनपद में निर्माणाधीन सभी पाइप पेयजल योजनाओ को पूर्ण किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि का आकलन कर विवरण प्रारुप ;न्ैबीद्ध तैयार कर उपलब्ध कराया जाये। इसमें पूर्व की अधूरी उन योजनाओ को भी सम्मिलित कर लिया जाये जिन पर धनाभाव के कारण अभी तक कार्य पूर्ण नही हो सके है।

3. नागर जलोत्सारण

वर्ष 2005–06 में प्रदेश के कई नगरो में जलोत्साण योजनायें प्रारम्भ की गई थीं। इनमें से सभी योजनाओ पर कार्य किया जा रहा है। अधिकॉश योजनाओ पर अभी तक शासन से प्राप्त धनराशि का उपयोग नही किया जा सका है। इन योजनाओ को प्राथमिकता पर पूर्ण करने हेतु

समयबद्ध नियोजन किया जाना चाहिये। इस सम्बन्द में संलग्न प्रारुप ;चैबीद्ध पर प्रगति एवं वर्ड्ढ 2008–09 में कुल आवश्यकता का विवरण दिया जाये।

4. ऐसी योजनाओ, जिन पर शासन/ पोड्ढक संर्स्िा से बिना द्दन प्राप्ति अर्विा स्वीकृत लागत से अद्दिक के कार्य कर दायित्व अर्जित किये गये आदि हेतु विवरण ;च् स्पंइपसपजलद्ध पर उपलब्द कराया जाये।

उपरोक्त से सम्बन्धित प्रारुप संलग्न किये जा रहे है। उपरोक्त प्रपत्र पर विवरण तैयार करने के पश्चात नगरीय एवं ग्रामीण `त्र की कार्य योजना (सारॉश) संलग्न प्रपत्र च् पर दिया जाये। सम्बन्धित विवरण दिनॉक 25.04.2008 तक तैयार कर मुख्यालय को वजि ब्वचल के सार्ि उपलब्द्ध कराया जाये। इस सम्बन्ध में बैठक की तिथियॉ अलग से सूचित की जायेंगी। उक्त पत्र की प्रति तर्ि सभी प्रपत्रो की प्रति सभी `त्रीय मुख्य अभियन्ताओ के म्.डंपस ।ककतमेमे पर भी प्रेड्डित की गई है। `त्र से सूचनायें E-Mail द्वारा mdupjn@yahoo.co.in पर प्रेड्डित की जाये। समस्त सूचनायें निर्द्दारित प्रपत्रो को Download करे Microsoft Office Excel पर ही बनाई जाये।

भवदीय,

संलग्नक उपरोक्तानुसार निम्न प्रपत्र

1 WP 2 WP-HP 3 WP-Sch 4 WP-Rehab 5 WP-O&M 6 WP-Liability

(रतन कुमार शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य अभियंता ग्रामीण/नागर/गंगा, उत्तर प्रद्ेय जल निगम, लखनऊ ।

प्रबन्ध निदेशक

Name of Office	Email id	Email address	Password
HQ UPJN	mdupjn	mdupjn@yahoo.co.in	
Zonal C E, Agra	zce_agr_upjn	zce_agr_upjn@yahoo.co.in	agrajalnigam
Zonal C E, Allahabad	zce_alld_upjn	zce_alld_upjn@yahoo.co.in	allahabad
Zonal C E, Gorakhpur	zce_gkp_upjn	zce_gkp_upjn@yahoo.co.in	gorakhpur
Zonal C E, Ghaziabad	zce_gzb_upjn	zce_gzb_upjn@yahoo.co.in	ghaziabad
Zonal C E, Jhansi	zce_jhn_upjn	zce_jhn_upjn@yahoo.co.in	jhansi
Zonal C E, Lucknow	zce_lko_upjn	zce_lko_upjn@yahoo.co.in	lucknow